फार्म – बी

{देखिये नियम 9(3), (4) एवम् (6)}

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(3)(36)राज / 11 /   दिनांक :– – नवम्बर 2011

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक टाईम्स- एजुकेशनल सोसायटी हनुमानगढ़ टाऊन मार्फत अध्यक्ष श्री सागरमल लड्ढा पुत्र श्री भागीरथमल लड्ढा साकिन हनुमानगढ़ टाऊन के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ़ में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार हनुमानगढ़, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तिन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :– टाईम्स एजुकेशनल सोसायटी हनुमानगढ़ टाऊन मार्फत अध्यक्ष श्री सागरमल लड्ढा पुत्र श्री भागीरथमल लड्ढा साकिन हनुमानगढ़ टाऊन

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :– नहीं

3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–

   (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ़

   (ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में) :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ़

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
147 / 279	22 / 1 / 0.153	
(83)	23 / 1 / 0.154	0.813 हैक्टर
147 / 280	2 / 0.253	(8130 वर्गमीटर)
(94)	3 / 0.253	

   (ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में) :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ़

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
147 / 279	22 / 1 / 0.153,	
(83)	23 / 1 / 0.154	0.813 हैक्टर
147 / 280	2 / 0.253,	(8130 वर्गमीटर)
(94)	3 / 0.253	

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– **शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ**

5. संदेय प्रीमियम की दर :– प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 9,20,000/– रूपये प्रति हैक्टर है, जो संदेय प्रीमीयम 5/– रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक होने के कारण वर्तमान डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत की दर से 9.20/– प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रुपये
1360	21.11.2011	[illegible]/–

दिनांक –

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक टाईम्स एजुकेशनल सोसायटी हनुमानगढ टाऊन मार्फत अध्यक्ष श्री सागरमल लढ्ढा पुत्र श्री भागीरथमल लढ्ढा साकिन हनुमानगढ टाऊन के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार हनुमानगढ, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :– टाईम्स एजुकेशनल सोसायटी हनुमानगढ टाऊन मार्फत अध्यक्ष श्री सागरमल लढ्ढा पुत्र श्री भागीरथमल लढ्ढा साकिन हनुमानगढ टाऊन

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :– नहीं

3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–

(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ

(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हेक्टर / वर्गमीटर में) :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
147 / 279 (83)	22 / 1 / 0.153, 23 / 1 / 0.154	0.813 हैक्टर
147 / 280 (94)	2 / 0.253, 3 / 0.253	(8130 वर्गमीटर)

(ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में) :– चक 10 एच.एम.एच. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
147 / 279 (83)	22 / 1 / 0.153, 23 / 1 / 0.154	0.813 हैक्टर
147 / 280 (94)	2 / 0.253, 3 / 0.253	(8130 वर्गमीटर)

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– **शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ**

5. संदेय प्रीमियम की दर :– प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 9,20,000 /– रूपये प्रति हैक्टर है, जो संदेय प्रीमीयम 5 /– रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक होने के कारण वर्तमान डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत की दर से 9.20 /– प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
1360	21.11.2011	37,398 /–
1361	21.11.2011	37,398 /–
	कुल	74,796 /–

7. चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
1360	21.11.2011	92,342 /–

लगातार 2

8. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :- शुन्य
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :- नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :- - -
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये सपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

(ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(iii) नियम - 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(v) इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष के हित में छोडनी होगी। तथा निर्धारित सीमा के पश्चात की निर्माण किया जावेगा।

(vi) यदि उक्त संस्थान तकनीकी संस्थान है तो समस्त पैरामिटर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवम् उप नियमों के मानदण्डों के अनुसार अथवा शिक्षा विभाग के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जावेगा।

(vii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो/आदेशो की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

(viii) उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा मे नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिये प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

Dist. Collector & Magistrate Hanumangarh

- ह. -
जिला कलक्टर,
हनुमानगढ

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक :- एफ.12(3)(36)राज/11/7162-68 दिनांक :- 29 - नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जाने हेतु सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।
2. उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को उनके पत्रांक राजस्व/भू.रू./11/1326 दिनांक 23.06.2011 तथा 2045 दिनांक 21.11.2011 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख मे अंकन कर करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड ~~[illegible]~~ हनुमानगढ को उनके पत्र क्रमांक 2498 दिनांक 11.07.2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
5. सचिव ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी पंचायत समिति हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. आवेदक टाईम्स एजुकेशनल सोसायटी हनुमानगढ टाऊन मार्फत अध्यक्ष श्री सागरमल लढ्ढा पुत्र श्री भागीरथमल लढ्ढा साकिन हनुमानगढ टाऊन।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
हनुमानगढ